समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

फोन न0 0612–2219545 (का
फैक्स न0–0612–22189C
Email : dampatnaarmssection@gmail.co
dm-patna.bih@nic.i

–: आदेश :–

20-07-2013

आवेदक **श्री शशि रंजन,** पिता–स्व0 शिवशंकर प्रसाद, सा0–चेनपुरा, पो0–बेगमपुर, थाना–बाईपास, जिला–पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर पिस्टल/रिवाल्वर शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–09–217/2013 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की तिथि–19.07.201 निर्धारित की गई। अपरिहार्य कारणों से सुनवाई की पहली तिथि स्थगित करते हुए दूसरी तिथि–20.07.2013 निर्धारित की गई।

दूसरी निर्धारित तिथि दिनांक–20.07.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे व्यवसाय करते हैं तथा समस्तीपु जिला में ऑफिसर्स क्लब में चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के रूप में कार्यरत थें। पूर्व में इनके पित की हत्या चचेरे भाई के द्वारा कर दी गयी थी। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना का पत्रांक–850/गो0, दिनांक–02.06.201 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को मूल में अग्रसारित किया गया है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पटना सिटी द्वारा थानाध्यक्ष, बाईपास के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारित किया गया है। थानाध्यक्ष, बाईपास द्वारा प्रतिवेदित किया गय है कि आवेदक किसानों से आलू, प्याज, हल्दी खरीदकर बेचने का व्यापार करते हैं तथ दिनांक–05 जून, 2005 से अगस्त–2011 तक समस्तीपुर जिला में ऑफिसर्स क्लब में चतु वर्ग कर्मचारी के रूप में कार्यरत थें। पूर्व में इनके पिता की हत्या चचेरे भाई के द्वारा क दी गयी थी। तदोपरान्त आवेदक के अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्ग करने हेतु अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारित किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन ए उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों क सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक को अप जान–माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शवि वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन एवं आवेदक के आवेदन एवं उनके उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री शशि रं पिता–स्व0 शिवशंकर प्रसाद, सा0–चेनपुरा, पो0–बेगमपुर, थाना–बाईपास, जिला–पटना उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए ग एक एन0पी0बोर पिस्टल/रिवाल्वर शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु **स्वीकृति** प्रदान की जाती है।

श्री रंजन को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपे अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पास साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्या में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त लेंगें।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।